मुस्लिम विधि के स्रोत

मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि है जो केवल मुसलमानों पर लागू होता है। यह भारत में अदालतों द्वारा लागू किया गया है, जो सभी में नहीं, बल्कि कुछ मामलों में ही है। भारत में मुस्लिम विधि का मतलब है कि इस्लामिक नागरिक कानून का वह हिस्सा जो मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत विधि के रूप में लागू होता है। मुस्लिम विधि, कानून का निकाय है जो कुरान से लिया गया है और अन्य मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मद द्वारा कहा गया है। हालाँकि इस्लामी विधि ने अपने अधिकारों के बजाय मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में बात की। धार्मिक अर्थ में इस्लाम का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को प्रस्तुत करना 'और धर्मनिरपेक्ष अर्थ में इस्लाम का अर्थ है शांति की स्थापना ।

मुस्लिम विधि की उत्पत्ति अरब है जहाँ मोहम्मद ने इस्लाम को स्वीकार किया था। इस्लाम का उद्देश्य अल्लाह की आज्ञाकारिता और अधीनता की भावना पैदा करना है। उनके अध्यादेश और इस तरह सही रास्ते पर चलना है। इस रास्ते पर चलने वाले मुस्लिम हैं। अमीर अली मुस्लिम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, दूसरे शब्दों में वह ईश्वर की एकता और मोहम्मद के चरित्र को स्वीकार करता है। इस प्रकार मुसलमान होने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है- एक यह कि अल्लाह एक है और दूसरा मोहम्मद का पैगंबर है। इस्लामिक कानून मुस्लिम धर्मशास्त्रों की एक शाखा है, जो विश्वास को व्यावहारिक अभिव्यक्ति देता है, जो यह बताता है कि मुस्लिम को अपने धर्म के माध्यम से खुद को कैसे रखना चाहिए, दोनों भगवान के प्रति और अन्य पुरुषों के लिए मुस्लिम विधि कुरान की निषेधाज्ञा से जुड़े परंपराओं में से हैं अभ्यासनबी (सुन्मा),

इन तीनों (qiyas) **के सामयिक कटौती के ज्यूरिस्ट** (**इज्मा**) **के आम राय के। इसके अलावा, इसे न्यायिक प्राथमिकता** (**इतिशासन**), **सार्वजनिक नीति** (**इस्तिस्लाह**), **मिसाल** (**तक्लिद**) **और स्वतंत्र व्याख्या** (**इल्तिहाद**) **द्वारा पूरक किया गया है।**

मुस्लिम विधि के स्रोत

मुस्लिम विधि के स्रोत दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं जो प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत हैं।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्रोत वे हैं जिन पर मुस्लिम कानून निर्भर था। ये स्रोत मुस्लिम विधि की नींव हैं। मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत हैं:

1. **कुरान**
2. **सुन्नत**
3. **इज्मा**
4. **क़ियास**

1. कुरान

मुस्लिम विधि की स्थापना अल-कुरान पर की गई है, जो माना जाता है कि मुसल्मानों ने अनंत काल से अस्तित्व में था, भगवान के बहुत सार में उपस्तिथ थे। कुरान शब्द अरबी शब्द क्वरा से लिया गया है जिसका अर्थ है पढ़ना। कुरान है, अल-फुरकान यानी, जो असत्य से सत्य और गलत से सही दिखाता है। कुरान जो शब्द है, वह है ivdivine **संचार 'और इस्लाम के पैगंबर के लिए रहस्योद्घाटन मुस्लिम कानून का पहला स्रोत है।**

कुरान मुस्लिम विधि का एक प्राथमिक स्रोत है, समय के साथ-साथ महत्व में। इस्लामिक धर्म और इस्लामिक समाज कुरान के शब्द को जन्म देते हैं। यह महत्व के मामले में मुस्लिम कानून का एक सर्वोपरि स्रोत है क्योंकि इसमें ईश्वर के शब्द शामिल हैं और यह वह आधार है जिस पर इस्लाम की बहुत संरचना कुरान को नियंत्रित करती है; मुसलमानों का सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक जीवन।

इसमें देवता के बहुत शब्द शामिल हैं जैसे कि मुहम्मद को पैगंबर गैब्रियल के माध्यम से भविष्यवाणी करने के लिए। 23 **वर्षों की अवधि में इसका विस्तार कर इसे दुनिया को सुगंधित रूपों में दिया गया। यह मूल रूप से अपनी वस्तुओं के लिए आपत्तिजनक रीति-रिवाजों को दोहरा रहा था, जैसे कि सूदखोरी, असीमित बहुविवाह और जुआ आदि, और सामाजिक सुधारों को प्रभावित करना, जैसे कि महिलाओं की कानूनी स्थिति और विरासत और उत्तराधिकार के मामलों का समान विभाजन।**

कुरान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है या इसे बदला जा सकता है, इस प्रकार, यहां तक कि कानून की अदालतों के पास छंद के स्पष्ट अर्थ को बदलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें एक सांसारिक मूल है। यह दृश्य आगा मोहम्मद जाफ़र बनाम कूलसम बीबी (1895) **में आयोजित किया गया था। लेकिन जब भी कुरान किसी विशेष मामले पर चुप था, तो मार्गदर्शन ~'से लिया सुन्नत गया था।**

2. सुन्नत

सुन्ना शब्द का अर्थ ट्रोडेन मार्ग है और जैसा कि यह अर्थ दर्शाता है कि यह कुछ प्रकार की प्रथाओं और मिसाल को दर्शाता है। यह मुस्लिमों का विश्वास है कि खुलासे दो प्रकार के थे- प्रकट (ज़हीर) और आंतरिक (बतिन)। मेनिफेस्ट रहस्योद्घाटन संचार है जो देवों के बहुत ही शब्दों में देवता मोहम्मद के निर्देशन में देवदूत गेब्रियल द्वारा किया गया है। कुरान प्रकट प्रकटीकरणों से बना है।

आंतरिक रहस्योद्घाटन पैगंबर की राय है जो समय-समय पर उन सवालों पर दिया जाता है जो उसके सामने उठाए गए थे। सुन्ना का अर्थ है पैगंबर का मॉडल व्यवहार। पैगंबर ने जो कहा, जो किया या किया गया था, उसके विवरण को हदीस या परंपरा कहा जाता है। हालाँकि, परंपराओं को मोहम्मद के जीवनकाल में लिखना कम नहीं किया गया था। उन्हें अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक सौंपी गई परंपराओं के रूप में संरक्षित किया गया है। मुस्लिम कानून के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हदीस का महत्व कुरान में ही रखा गया है।

परंपराओं के प्रकार: परंपराएं दो प्रकार की होती हैं:

1. सुन्नत

2. अहादीस

इन दोनों को मोड या तरीके के आधार पर निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई है:

सुन्नत-उल-नाकाम, ऐसी परंपराएँ जिनके बारे में नबी ने खुद किया था।

सुन्नत-उल-क़ौल यानी ऐसी परंपराएँ जिसके बारे में उन्होंने शब्दों के जरिए जाना।

सुन्नत "उल-तुकारि" यानी उनकी मौजूदगी में उनकी अस्वीकृति के बिना की गई बातें।

अहदीसरे के तीन वर्ग:

Alhadis -i-mutwair **यानी, परंपराएँ जो सार्वजनिक और सार्वभौमिक स्वामित्व की होती हैं और इसे पूरी तरह से प्रामाणिक माना जाता है। ऐसी हदीसों में श्रृंखला पूरी होती है।**

अहदीस-ए-मशहूर यानी ऐसी परंपराएं जिन्हें बहुसंख्यक लोग जानते हैं, उनके पास सार्वभौमिक स्वामित्व का चरित्र नहीं है।

अहादीस-ए-वाहिद अर्थात, परंपराएँ जो अलग-थलग व्यक्तियों पर निर्भर करती हैं।

इस प्रकार, दो स्रोतों, अर्थात्, कुरान और सुन्ना को इस्लामी कानून की मूल जड़ें बनाने के लिए कहा जा सकता है।

3. इज्मा

यह लोगों पर एक सिद्धांत (कुरान या हदीस के विपरीत नहीं) पर कार्य करने के लिए समान रूप से बाध्यकारी था, जो कि किसी भी पीढ़ी के उच्च योग्य कानूनी विद्वानों के बीच समझौते द्वारा स्थापित किया गया था।

इज्मा को सर अब्दुल रहीम द्वारा कानून के एक विशेष प्रश्न में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों के बीच न्यायविदों के समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। इज्मा की वैधता, एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में, पैगंबर की एक हदीस पर आधारित है जो कहती है कि भगवान अपने लोगों को एक त्रुटि पर सहमत होने की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार इज्मा कानून का एक स्रोत बन गया। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, कुरान और परंपराओं को विफल करना, और पैगंबर के साथियों के बीच राय की आम सहमति कानून के सबसे अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार यह कानून का तीसरा स्रोत है, दोनों समय और महत्व के मामले में।

मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में इज्मा का अधिकार भी कुरान हदीस पर स्थापित है। कानून कुछ जीवित और बदल रहा है। कानून का उद्देश्य समाज की जरूरतों को पूरा करना है। इज्मा का सिद्धांत पाठ पर आधारित है अर्थात ईश्वर अपने लोगों को एक त्रुटि पर सहमत होने की अनुमति नहीं देगा और जो कुछ भी मुसलमानों को अच्छा लगता है वह ईश्वर से पहले अच्छा होता है। मुस्लिम धर्म पैगंबर की मृत्यु के बाद आगे रहस्योद्घाटन की संभावना को स्वीकार नहीं करता है, इज्मा का सिद्धांत वर्तमान मुस्लिम व्यवस्था में कानून के लिए एकमात्र अधिकार है।

इज्मा की तरह

इज्मा तीन प्रकार के होते हैं:

पैगंबर के साथियों की इज्मा “साथी की सहमतिपूर्ण राय है जो मुस्लिम दुनिया भर में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, और अप्राप्य है।

न्यायविदों की इज्मा- न्यायविदों की सर्वसम्मत राय है जो माना जाता है कि साथियों की इज्मा के बाद यह सबसे अच्छा इज्मा है। सभी न्यायविदों को एक साथ बैठना चाहिए और तर्क पर चर्चा करनी चाहिए, और अधिकांश न्यायविदों का विचार है कि एकमत होकर इज्मा बनाया जाए।

लोगों की इज्मा "मुस्लिम आबादी की राय के रूप में एक पूरे महत्व हो सकता है लेकिन वास्तविक व्यवहार में मुस्लिम जनता की इज्मा कानूनी मामलों के संबंध में कोई मूल्य नहीं था, लेकिन धर्म, प्रार्थना और अन्य टिप्पणियों से संबंधित मामलों में अधिक मूल्य है इसके साथ संलग्न।

इज्मा को किसी विशेष अवधि या देश तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह तब पूरा होता है, जब न्यायविद, उचित विचार-विमर्श के बाद, एक खोज पर आते हैं। यह किसी भी व्यक्तिगत न्यायविद द्वारा पूछताछ या चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक उम्र के इज्मा को उसी या बाद की उम्र के इज्मा द्वारा उलटा या संशोधित किया जा सकता है।

4) क़ियास

यह मुस्लिम कानून का अंतिम प्राथमिक स्रोत है। क़ियास का मतलब 3 **स्रोतों अर्थात कुरान, सुन्ना और इज्मा के ऊपर से सादृश्य द्वारा तर्क करना है।** Qiyas **नियमों में कारण के व्यायाम द्वारा कटौती की जाती है।**

Qiyas **को कटौती की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा पाठ का कानून मामलों पर लागू होता है, जो कि भाषाओं द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, पाठ के कारण नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि** Qiyas **एक नया कानून बनाने के लिए उद्देश्य नहीं रखता है, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में लागू करने के लिए है।**

क़ियास की वैधता की शर्तें:

जिस मूल स्रोत से क़ियास घटाया गया है, उसे विस्तारित करने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात यह किसी विशेष प्रकृति का नहीं होना चाहिए। कुरान या हदीस का मूल क्रम जिस पर क़ियास की प्रक्रिया लागू होती है, उसे निरस्त या निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था। क़ियास का नतीजा कुरान की किसी भी अन्य आयत या किसी स्थापित सुन्ना से असंगत नहीं होना चाहिए। क़ियास को कानून के एक बिंदु का पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए और इस्तेमाल किए गए शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने के लिए नहीं। कटौती पाठ में सन्निहित कानून में बदलाव को शामिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क़ियास क़ानून का कमजोर स्रोत है और नियमबद्ध रूप से कम किए गए नियम उतने उच्च स्तर के अधिकारी नहीं हैं, जितने कि कुरान और हदीस द्वारा या राय (इज्मा) की सर्वसम्मति से निर्धारित किए गए हैं। यही कारण है कि एनालॉग कटौती के संबंध में। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता है कि वे वही हैं जो कानून देने वाले

का इरादा है। इस तरह की कटौती हमेशा मानव संसाधनों के आवेदन पर टिकी हुई है जो हमेशा माध्यमिक स्रोतों के लिए उत्तरदायी हैं।

ये स्रोत मुस्लिम कानून के बुनियादी स्रोत नहीं हैं बल्कि मुस्लिम कानून के पूरक स्रोत हैं।

मुस्लिम कानून के माध्यमिक स्रोत हैं:

1. आग्रह या रिवाज
2. न्यायिक निर्णय
3. विधान
4. समानता, न्याय, और अच्छा विवेक

1. आग्रह या रिवाज

अरब में इस्लाम के उदय से पहले, रीति-रिवाज पूरे सामाजिक जीवन, धर्म, नैतिकता, व्यापार और वाणिज्य का आधार थे। मुस्लिम कानून में रिवाज को कानून के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रिवाज को हमेशा मुस्लिम कानून के तहत जगह दी गई है, अगर यह मुस्लिम कानून के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, पैगंबर मुहम्मद ने अरब के पूर्व-इस्लामिक प्रथागत कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया। मुस्लिम कानून के विभिन्न मामलों में, कस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब मामला उनके संबंध में होता है:

कृषि भूमि;

कुछ समुदायों के बीच वसीयतनामा उत्तराधिकार; तथा वक्फ के अलावा अन्य दान, क्योंकि ये मामले शरीयत अधिनियम, 1937 की धारा 2 में शामिल नहीं किए गए हैं। कस्टम ने शरिया के विकास और गठन को कई तरीकों से प्रभावित किया!

कई ग्रंथों, विशेष रूप से परंपराओं पर आधारित हैं। पैगंबर की मौन या मौन स्वीकृति के आधार पर शरीयत के एक हिस्से में कई अरब रिवाज शामिल हैं। इमाम मलिक का कहना है कि मदीना के नागरिक का प्रथागत आचरण अन्य ग्रंथों की अनुपस्थिति में भरोसा करने के लिए पर्याप्त इज्मा था।

पूर्व कस्टम की शर्त

- **कस्टम को क्षेत्रीय होना चाहिए।**
- **यह यादगार समय अर्थात प्राचीन से विद्यमान होना चाहिए।**
- **यह निरंतर और निश्चित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए।**
- **कस्टम को सार्वजनिक नीतियों का विरोध नहीं करना चाहिए।**
- **कस्टम को कुरान और इज्मा के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए।**

2. <u>न्यायिक निर्णय</u>

इनमें निजी परिषद के निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय शामिल हैं, न्यायाधीश बताते हैं कि कानून क्या है। इन फैसलों को भविष्य के मामलों के लिए मिसाल माना जाता है। न्यायिक निर्णय अंग्रेजी कानून की विशिष्ट विशेषता में से एक है। भारत में, 1772 के वारेन हेस्टिंग्स की योजना ने प्रावधान किया कि यह केवल न्यायपालिका थी जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों में नए निर्धारित नियम पेश किए।

ऐसे कई न्यायिक फैसले हैं जिन्होंने मुस्लिम कानून को नया आयाम दिया है:

में चौधरी वकील अहमद मैनी बीबी वी। , प्रिवी कौंसिल ने कहा कि एक विधवा अपने तक अपने पति की संपत्ति रखने का अधिकार के पास दहेज पैसा भुगतान किया गया था

में अली हुसैन बाई ताहिरा वी। , सुप्रीम कोर्ट रखरखाव की व्यवस्था करने के लिए दृष्टिकोण की एक नई लाइन दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए हकदार होगी, भले ही उसने अपने प्रथागत कानून के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की हो। इसी तरह का दृश्य शाह बानो के मामले में भी लिया गया।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ हद तक, भारत की अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियमों को भारत में लागू करने की कोशिश की है। जब तक कुछ विधायी अधिनियम द्वारा अधिपत्य या नकारात्मक, निर्णय के माध्यम से ये नियम, मुस्लिम कानून का एक स्रोत बने रहेंगे।

3. <u>न्याय, इक्विटी और अच्छा विवेक</u>

इक्विटी, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत को मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में माना जाता है। सुन्नी के हनफी संप्रदाय के संस्थापक अबू हनीफा ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि सादृश्य के आधार पर कानून का शासन एक विशेष मामले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उदार निर्माण या न्यायिक प्राथमिकता पर न्यायाधीश के विकल्प पर अलग रखा जा सकता है। मुस्लिम कानून के इन सिद्धांतों को इतिशासन या न्यायिक इक्विटी के रूप में जाना जाता है । इतिशासन का शाब्दिक अर्थ है अनुमोदन और उदार निर्माण या न्यायिक वरीयता के रूप में अनुवाद किया जा सकता है ।

इस शब्द का प्रयोग महान न्यायविद अबू हनीफा द्वारा किया गया था, ताकि वे इस बात को व्यक्त कर सकें कि उन्होंने कानून को मानने के लिए कहा था, जो कि उनके विवेक के अनुसार, विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी, बजाय कानून के जो उपमा दी। भारत में बदलती परिस्थितियों को पूरा करने के लिए मुस्लिमों के कई क्षेत्रों को संशोधित किया गया।

4. विधान

भारत में, मुसलमानों को संसद द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा पारित विभिन्न कानूनों द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। भारत में कानून के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

- सूदखोर ऋण अधिनियम, 1918
- धार्मिक अत्याचार अधिनियम
- धर्म अधिनियम, 1850 की स्वतंत्रता
- मुसलमान वक़्फ़ वैध अधिनियम, 1930
- शरीयत अधिनियम, 1937
- मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन

इन अधिनियमों ने मुस्लिम कानून को काफी प्रभावित, पूरक और संशोधित किया है। 1986 में भारतीय संसद द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के संबंध में अलग कानून प्रदान करने के लिए एक अधिनियम यानी मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986। समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय विधायिका ने आवश्यकता को पूरा करने के लिए कानून बनाया।

निष्कर्ष

ये चार स्रोत कुरान, सुन्ना, इज्मा और क़ियास कानून के प्राथमिक स्रोत हैं। मुस्लिम कानून मुख्य रूप से कुरान की आयतों और हदीस की प्रथाओं पर आधारित है। मुस्लिम कानून का द्वितीयक स्रोत है जो बाद में बना। शियाओं के संप्रदाय मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में क़ियास को स्वीकार नहीं करते हैं। यह सभी के योगदान के कारण है कि इस्लाम के व्यक्तिगत कानूनों का एक व्यवस्थित और व्यवस्थित सिद्धांत अस्तित्व में आया जो मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करता है।

संदर्भ:

- **मोहम्मडन लॉ बाय अकिल अहमद**, 25 **वाँ संस्करण** 2013
- **मुस्लिम लॉ बाय सैयद खालिद रशीद, तीसरा संस्करण**
- **मुस्लिम क़ानून एमए कुरैशी**, **संस्करण** 2002 **तक**
- **मुल्ला द्वारा मोहम्मदान कानून के सिद्धांत**
- **कीर्ति** Pamar: **द्वारा लिखित**
- **भारत में कानून का अनुच्छेद**